निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1266) पटना, मंगलवार, 22 जुलाई 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई 2025

सं० वि०स०वि०–15/2025–3096/वि०स०— ''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–22 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-06/2025]

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत–गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।–

(1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. धारा 27 ''आ'' की उप धारा (2) में संशोधन ।–धारा–27 ''आ'' की उपधारा (2) के वर्तमान प्रावधान की नयी उपधारा (2) द्वारा निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''(2) नगरपालिका प्रशासन हेतु कार्यपालक कृत्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी में निहित होगा, जो सशक्त स्थायी समिति की निगरानी तथा इस अधिनियम के साथ–साथ इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों, उप–विधियों के प्रावधानों के अधीन होगा।''

3. धारा 55 के उपधारा (1) में संशोधन ।–

धारा 55 की उपधारा (1) के वर्तमान प्रावधान को नयी उपधारा (1) द्वारा निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''(1) नगरपालिका की प्रत्येक बैठक में पार्षदों और मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी के द्वारा भाग लिया जाएगा जबकि सीमित संख्या (सरकार द्वारा यथा निर्धारित) में दर्शक भी मुख्य नगर पार्षद की अनुमति से वहां उपस्थित हो सकते हैं।''

4. धारा 60 में संशोधन ।–धारा 60 के वर्तमान परन्तुक को नये परन्तुक द्वारा निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''परन्तु प्रत्येक बैठक की कार्यवाही मुख्य पार्षद अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले पार्षद द्वारा बैठक के आयोजन की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर विहित रूप से हस्ताक्षरित कर अनिवार्य रूप से निर्गत किया जाएगा।''

5. धारा 143 की उपधारा (1) में संशोधन ।–धारा 143 की उपधारा (1) के वर्तमान प्रावधान को नयी उपधारा (1) द्वारा निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''(1) कोई भी व्यक्ति जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विहित रूप से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट हो तो वह ऐसे आदेश के 30 (तीस) दिनों के भीतर उस जिले के जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित नगरपालिका स्थित है, जिनका निर्णय अंतिम होगा।''

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) में मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद का प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्वति से निर्वाचित होने का प्रावधान है, उक्त प्रावधान के आलोक में मुख्य पार्षद/उपमुख्य पार्षद द्वारा विकास कार्य हेतु निर्णय लिया जाता है जिसमें उन्हें अधिक स्वायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को अधिक स्वायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से बिहार नगरपालिका अधिनियम (संशोधित), 2024 के प्रावधान में संशोधन किया जाना आवश्यक है जिससे नगर निकाय के विकास हेतु मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद द्वारा त्वरित निर्णय लिया जा सके। यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभिष्ट है।

(जिवेश कुमार)
भार–साधक सदस्य

पटना,
दिनांक-22.07.2025

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1266-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in